

रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला

(आर.सी.एफ. परिसर में प्रवेश पास हेतु आवेदन-पत्र)

आवेदन फार्म भरने से पूर्व इस फार्म के पीछे दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें

1. नाम (स्पष्ट शब्दों में) :
2. जन्म तिथि :..... 3. मोबाईल नं:.....
3. पिता का नाम :
4. वर्तमान पता :
5. स्थाई पता :
6. आर.सी.एफ. में व्यवसाय :
7. फर्म/दुकान का नाम व पता :
8. यदि पहले प्रवेश पास जारी हुआ है तो उस पास का नं..... तिथि.....
मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

कार्यालय प्रयोग के लिए
पावती/पास सं.....
/

जारी करने वाले के हस्ताक्षर

प्रार्थी अपनी एक फोटो यहां
चिपकार्यें तथा दूसरी
फोटो इस फार्म के
साथ लगायें

प्रार्थी के हस्ताक्षर

पुलिस द्वारा सत्यापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं है और उसका नैतिक चरित्र अच्छा है।

पुलिस थाने की मुहर

रोजनामचा संख्या

सत्यापन करने वाले पुलिस प्राधिकारी के तिथि सहित हस्ताक्षर

प्राधिकारी का नाम

प्राधिकारी का पदनाम

* नोट: कपूरथला जिले सेबाहरके मूल निवासी आवेदकों को अपने गृह जनपद के संबंधित थाने से भी निर्धारित फार्म पर पुलिस सत्यापन करवाकर लाना होगा।

सप्लायर्स/ठिकेदार/दुकानदार तथा उनके कर्मचारी	दूधवाला /नौकर इत्यादि के लिए
यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति M/s..... फर्म में कार्यरत है। उक्त फर्म को इस विभाग द्वारा वर्क्स कांट्रैक्ट /स्टोर सप्लाय कांट्रैक्ट /दुकान का ठेका, कांट्रैक्ट/परचेज आर्डर सं दिनांक..... द्वारा दिया गया है। उन्हें आर.सी.एफ. परिसर/वर्कशाप में प्रवेश करने हेतु परमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। उप विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर (मोहर सहित)	यह सत्यापित किया जाता है कि हम प्रार्थी को जानते हैं और ऊपर दी गई सूचना सही है। प्रार्थी यदि कोई भी गलत कार्य करते हैं तो इसकी जवाबदेही हम पर भी होगी। प्रार्थी द्वारा मेरे यहां से काम छोड़ कर जाने पर उसका प्रवेश पास वापिस जमा करवाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। गवाह - I गवाह - II नाम..... नाम..... कर्म.सं..... कर्म.सं..... क्वार्टर नं..... क्वार्टर नं..... फोन नं..... फोन नं..... हस्ताक्षर..... हस्ताक्षर.....
संस्थागत कर्मचारी	रेहड़ी, फेरी वाला/कबाडिया तथा अन्य बाहरी व्यक्तियों के लिए
यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति संस्था में पद पर कार्यरत है। उन्हें आर.सी.एफ. परिसर में प्रवेश करने हेतु परमिट कार्ड जारी करने की सिफारिश की जाती है। संस्था के मुखिया/सचिव के मोहर सहित हस्ताक्षर	उपरोक्त व्यक्ति को आरसीएफ परिसर में रेहड़ी चलाने अथवा फेरी लगाने की अनुमति दी जाती है। अनुमति क्रमांक: तिथि: उप विभागाध्यक्ष/सिविल(मोहर सहित)

नोट: कृपया इस फार्म को पीछे लिखे निर्देशों के अनुसार, दस्तावेजों के साथ आरसीएफ के Reception Counter पर जमा करें।

(कृपया यहां से काटें)

पावती (Acknowledgement)

श्री/श्रीमतीसे आरसीएफ में प्रवेश पास के लिए आवेदन दिनांक..... को प्राप्त हुआ है। प्रवेश पास एक
सप्ताह बाद आने वाले मंगलवार और शुक्रवार को दोपहर 2.30 बजे से 4.30 बजे तक, I.Card शाखा से जारी किया जायेगा। यह पावती
दिनांक..... तक प्रवेश के लिए मान्य है।
पावती सं.

कृते उप महाप्रबंधक (सामान्य)

निर्देश (Instructions)

ठेकेदारों/ सप्लायरों/ दुकानदारों एवं उनके कर्मचारियों के लिए

(For Contractors/ Suppliers/Shopkeepers in RCF and their employees)

1. Contract/ P.O की कापी जिसमें Contract/ P.O की संख्या तथा उसकी तिथि लिखी हो, इस फार्म के साथ लगाएं।
2. Firm के Letter Head पर Firm के मालिक/पार्टनर द्वारा मोहर के साथ हस्ताक्षरित किया हुआ एक घोषणा पत्र जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हो कि उपरोक्त व्यक्ति उस Firm में कार्यरत है, साथ लगाएं। Firm के मालिक/पार्टनर एवं दुकानदार अपने लिए Firm के Letter Head पर अपना स्वघोषणा पत्र (self declaration) साथ लगाएं।
3. फार्म पर बने स्थान पर एक फोटो चिपका कर Firm के मालिक/पार्टनर द्वारा मोहर के साथ सत्यापित (Attest) करवाएं तथा एक अतिरिक्ति फोटो बिना सत्यापन इस फार्म के साथ लगाएं।
4. फार्म में बने स्थान पर लोकल थाने से +Police Verification भी करवाएं।
5. आरसीएफ के संबंधित विभाग के उप. विभागाध्यक्ष से फार्म में बने स्थान पर मोहर के साथ सत्यापन(Attest) करवाएं।
6. आरसीएफ के अकाउंट्स विभाग में 50 रुपये जमा करवाकर रसीद साथ लगाएं।

संस्थागत कर्मचारियों के लिए

(For employees of Societies, Schools, Clubs, Banks, Post Office etc.)

1. फार्म पर बने स्थान पर एक फोटो चिपका संस्था के मुखिया/सचिव द्वारा मोहर के साथ सत्यापित (Attest) करवाएं तथा एक अतिरिक्ति फोटो बिना सत्यापन इस फार्म के साथ लगाएं।
2. फार्म में बने स्थान पर लोकल थाने से Police Verification भी करवाएं। पास के नवीनीकरण के समय Police Verification के स्थान पर संस्था के किसी प्राधिकारी से भी चरित्र सत्यापन करवाकर दिया जा सकता है।
3. संस्था के मुखिया/सचिव से फार्म में बने स्थान पर मोहर के साथ सत्यापन(Attest) करवाएं।
4. आरसीएफ के अकाउंट्स विभाग में 50 रुपये जमा करवाकर रसीद साथ लगाएं।

दूधवाला /नौकर इत्यादि के लिए

1. फार्म पर बने स्थान पर एक फोटो चिपका कर गांव के सरपंच या म्यूनिसिपल कमेटी के एम.सी. द्वारा मोहर के साथ सत्यापित (Attest) करवाएं तथा एक अतिरिक्ति फोटो बिना सत्यापन इस फार्म के साथ लगाएं।
2. आरसीएफ परिसर में रहने वाले दो कर्मचारियों, जिन्हें आप सेवाएं देते हैं, से फार्म में बने स्थान पर गवाही करवाएं।
3. फार्म में बने स्थान पर लोकल थाने से Police Verification भी करवाएं। नौकर के पास के नवीनीकरण के समय Police Verification के स्थान पर आरसीएफ के किसी अधिकारी से भी चरित्र सत्यापन करवाकर दिया जा सकता है।
4. आरसीएफ के अकाउंट्स विभाग में 50 रुपये जमा करवाकर रसीद साथ लगाएं।

रेहड़ीफेरी/कबाडिया तथा अन्य बाहरी व्यक्तियों के लिए

1. फार्म पर बने स्थान पर एक फोटो चिपका कर गांव के सरपंच या म्यूनिसिपल कमेटी के एम.सी. द्वारा मोहर के साथ सत्यापित (Attest) करवाएं तथा एक अतिरिक्ति फोटो बिना सत्यापन इस फार्म के साथ लगाएं।
2. फार्म में बने स्थान पर लोकल थाने से Police Verification भी करवाएं।
3. अपना आवेदन आरसीएफ के प्रशासनिक भवन में उप विभागाध्यक्ष/सिविल को प्रस्तुत कर सत्यापन करवाएं।
4. आरसीएफ के अकाउंट्स विभाग में 175 रुपये जमा करवाकर रसीद साथ लगाएं।